भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 127
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल बीमा दावे

***127. श्री एंटो एन्टोनीः**
श्री तनुज पुनियाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत किसानों द्वारा किए गए फसल बीमा दावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने दावे संवितरित किए गए और किसानों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) संवितरण हेतु लंबित दावों की संख्या कितनी है और ऐसे विलंब के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल बीमा दावे के संबंध में 29 जुलाई, 2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ श्री एंटो एन्टोनी और श्री तनुज पुनिया द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 127 के भाग (क) से (घ) के संदर्भ में उल्लिखित विवरण |

(क) से (ग): वर्ष 2022-23 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) के दौरान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत 50,474.74 करोड़ रुपये के दावे रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 926.59 लाख किसान आवेदनों के लिए को 45,192.26 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 5,282 करोड़ रुपये (10.5%) भुगतान हेतु लंबित हैं |

इन दावों के लंबित रहने के प्रमुख कारण हैं (क) सब्सिडी का राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/विलंबित भुगतान या दावों का कम भुगतान (ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि के कारण हैं। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटारा योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान करने के बाद किया जाता है।

खरीफ 2023 से खरीफ 2024 के दौरान, राज्यों द्वारा उपज की रिपोर्टिंग/राज्य द्वारा फसल नुकसान की अधिसूचना या किसानों द्वारा सूचना देने के 30 दिनों के भीतर लगभग 69% दावों का निपटान कर दिया गया है।

(घ): सरकार ने इस स्कीम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए एकल डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** का विकास किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि खरीफ 2024 से सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान किया जा सके।
- प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग कर दिया गया है, ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।

- इसके अलावा, इस स्कीम के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए, **CCE-Agri App** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा को कैप्चर करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।
- राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर बीमा कंपनी द्वारा दावों के भुगतान में देरी पर 12% जुर्माने का प्रावधान है जिसकी स्वतः गणना हो जाती है।
- स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रीमियम अंश को अग्रिम रूप से जमा करने हेतु एस्क्रो खाता खोलना खरीफ 2025 मौसम से अनिवार्य कर दिया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत हाल ही में वर्ष 2023-24 से औब्जैकटिव फसल क्षति एवं नुकसान आकलन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

i. **यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान को धीरे-धीरे अपनाया जाएगा ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिल सके। यह पहल खरीफ **2023** से धान और गेहूँ की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में **30%** भारांश अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ **2024** सीज़न से जोड़ा गया है।

ii. **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)** स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी (ARG) का नेटवर्क स्थापित करेगा जो मौजूदा नेटवर्क से पाँच गुना बड़ा होगा और ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर अति-स्थानीय (Hyper Local) मौसम डेटा एकत्र करेगा। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से पारस्परिक उपयोग (Interoperability) और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में डाला जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए, बल्कि प्रभावी सूखा एवं आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

अनुबंध I

PMFBY और RWBCIS: राज्यवार किसान आवेदनों के लिए दावे और लाभान्वित किसानों की संख्या						
राज्य	बीमित किसानों के आवेदन (संख्या)			लाभान्वित किसान आवेदन (संख्या)		
	2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	171	187	150	7	86	39
आंध्र प्रदेश	1,23,87,364	1,31,29,912	85,43,555	6,29,229	-	-
असम	4,89,981	7,93,506	7,61,951	26,240	99,561	20,817
छत्तीसगढ	77,30,456	81,25,985	67,56,016	15,31,966	15,00,347	2,50,598
गोवा	403	234	216	5	2	64
हरियाणा	14,51,535	1,02,67,729	94,27,621	7,52,993	25,15,329	17,24,053
हिमाचल प्रदेश	2,67,618	2,78,055	1,09,605	1,39,516	1,07,964	31,257
जम्मू और कश्मीर	91,582	2,45,757	1,47,346	17,903	73,579	72,354
झारखंड			25,48,512			31,825
कर्नाटक	27,18,915	30,77,232	30,48,823	18,40,873	23,60,145	10,25,637
केरल	1,46,546	1,74,102	92,743	1,30,053	28,695	-
मध्य प्रदेश	1,77,32,045	1,77,95,826	97,17,150	36,88,740	39,43,417	32,64,868
महाराष्ट्र	1,07,33,625	2,41,73,494	1,64,14,758	76,44,275	1,32,27,119	73,92,889
मणिपुर	4,066	5,073	4,619	3,395	4,170	-
मेघालय	337	38,569	47,749	68	14,398	18,952
ओडिशा	80,20,747	1,41,60,653	1,37,81,469	17,83,312	11,49,287	7,30,087
पुदुचेरी	38,274	42,344	8,781	7,263	5,846	5,857
राजस्थान	3,90,71,541	3,90,16,977	2,15,31,458	1,16,18,304	83,11,462	27,20,571
सिक्किम	5,025	3,104	489	-	23	-
तमिलनाडु	61,37,961	54,56,594	3,15,826	19,37,875	17,00,553	1,48,721
तेलंगाना						
त्रिपुरा	3,56,201	3,65,378	8,231	20,515	10,905	3,554
उत्तर प्रदेश	42,83,991	60,68,754	50,72,290	12,51,998	11,84,713	14,41,310
उत्तराखंड	2,82,068	2,27,291	1,28,244	1,99,847	1,71,124	92,045
पश्चिम बंगाल		-			-	
कुल योग	**11,19,50,452**	**14,34,46,756**	**9,84,67,602**	**3,32,24,377**	**3,64,08,725**	**1,89,75,498**

- कार्यान्वित नहीं हुआ/बहुत कम कवरेज

अनुबंध-II

PMFBY और RWBCIS: दिनांक 30 जून, 2025 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2022-23 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) तक रिपोर्ट किए गए दावों, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों का राज्यवार विवरण				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समेकित 2022-23 से 2024-25 (खरीफ 2024 तक) (रूपये करोड़ में)			कारण
	रिपोर्ट किए गए दावे	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे	
अंडमान और निकोबार	0.05	0.02	0.03	
आंध्र प्रदेश	3,138.80	-	2,592.07	सब्सिडी में राज्य का हिस्सा और किसानों का प्रीमियम हिस्सा राज्य सरकार से लंबित है
असम	557.12	531.51	25.61	
छत्तीसगढ	3,558.22	3,554.19	4.04	
गोवा	0.01	0.01	0.00	
हरियाणा	5,921.08	5,858.83	62.25	
हिमाचल	369.71	362.51	7.20	
जम्मू & कश्मीर	119.21	116.92	2.29	
झारखंड	20.64	-	20.64	राज्य सरकार द्वारा बीमित क्षेत्र का निर्धारण नहीं किया गया है
कर्नाटक	9,536.91	9,513.35	23.56	
केरल	461.26	460.58	0.69	
मध्य प्रदेश	13,688.21	12,380.21	1,308.00	
महाराष्ट्र	24,912.02	24,588.57	323.46	
मणिपुर	5.10	5.08	0.03	
मेघालय	24.30	23.61	0.68	
ओडिशा	2,556.29	2,541.31	14.98	
पुदुचेरी	10.96	8.49	2.48	
राजस्थान	17,421.93	16,474.21	947.72	
सिक्किम	0.03	0.02	0.01	
तमिलनाडु	5,225.14	5,207.59	17.56	
तेलंगाना	-	-	-	
त्रिपुरा	9.87	9.57	0.29	
उत्तर प्रदेश	3,208.86	3,157.58	51.27	
उत्तराखंड	966.13	965.74	0.39	
कुल	91711.854	86306.61247	5405.241	

****